न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 311/2018 (2018/00431)

1.घीसालाल पुत्र गणपत लाल तेली जाति तेली निवासी तेली मौहल्ला केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज)

2.रामदेव पुत्र गणपत लाल तेली जाति तेली निवासी तेली मौहल्ला केकड़ी तहसील केकड़ी जिलाअजमेर(राज)

------प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर (राज) ---अप्रार्थी

अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री विष्णु कुमार साहू– प्रार्थीगण

तहसीलदार केकड़ी– अप्रार्थी

सत्यमेव जयते

Web Copy Not Official

आदेश

दिनांक 23.9.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि कस्बा केकड़ी की निम्नवर्णित आराजीयात संवत् 2068–72मे स्थित हैः–

खेवट खतौनी संख्या	ख.नं.	रकबा (हैक्टर म)	किस्म
1748–1615	95	1.90	बारानी 2
	217	1.03	बारानी 2
	218	0.29	बारानी 2
	219/8480	0.03	बारानी 2

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी की आराजीयात है जिस पर प्रार्थीगण फसल काश्त कर पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे है। जिसमे दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा व वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण ही एक मात्र वर्णित आराजीयात का खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त आराजी खसरा नंबर 95,217,218,219/8480 कुल रकबा 3.25 के आसपास के खातेदारान अवैध रूप से अतिक्रमण का प्रयास कर रहे है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त आराजी के आसपास के खातेदारान नाजायज व जबरन रूप से प्रार्थी के खेत पर अन्दर बढ रहे है। मौके पर दबाव बनाकर आराजी पर जबरन अवैध रूप से कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर मौके पर जरिये मीट्स एण्ड बाउण्ड राजस्व रेकार्ड के अनुसार मुस्तकिल पोइंटस् से नाप चौप कर प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान कर सीमा पर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित करवाना चाहता है। जो किया जाना न्यायोचित और आवश्यक है। ताकि भविष्य मे उक्त आराजी की सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो और न ही कोई संगीन अपराध कारित हो। प्रार्थीगण की उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:07:40 IST
Reason: SelfAttested

किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार की तरफ से दिनांक 24.08.2020 को न्यायालय मे उपस्थित होकर जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने से राजहित प्रभावित नहीं होता है।

अप्रार्थी का जवाब प्रस्तुत होने पर पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी के लायक अभिभाषक श्री विष्णु कुमार साहू ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया। उपस्थित पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे बताया कि पत्थर गढ़ी किये जाने से राजकीय हित किसी प्रकार प्रभावित नही होता है। अतःप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नही है।

अतः तहसीलदार केकड़ी को आदेश दिए जाते है कि कस्बा केकड़ी की प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा करवाने पर दो कार्मिकों की टीम गठित कर करवायी जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:07:40 IST
Reason: SelfAttested